

कमिश्नर वाणिज्य कर, उर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर ।
प्रार्थना पत्र संख्या व 49 / 10, 26.05.2010
दिनांक
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर द्वारा दिनांक 26.05.2010 को उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें धारा-59 के स्थान पर धारा-35 का उल्लेख करते हुए, उनके द्वारा निम्न वस्तुओं पर कर की दर जाननी चाही गयी है :-

1. पूला घास (छप्पर आदि बनाने में प्रयोग होता है)
2. गोरल घास (घोड़ों के लिए चारा)
3. हड्डी, सींग, चमड़ा
4. तेन्दू पाा (बीड़ी बनाने में प्रयोग होता है)
5. रोहणी कमेला (दवाई बनाने में प्रयोग होता है)
6. मालझन पाा (पाल बनायी जाती है)
7. शहद मोम
8. जड़ी-बूटी
9. गोला धातु (सेना की फायरिंग से बचे स्क्रैप (खोखे))
2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गई, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 08.08.2013 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसके पूर्व भी कई नोटिस भेजी गई थी । दिनांक 28.07.2010 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए जारी नोटिस दिनांक 11.08.2010 के प्रतिउर में एक लिखित प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया है, जो पत्रावली पर संलग्न है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि यदि दर सूचित करने का राजकीय हित में कोई प्राविधान हो, तो सूचित करने की कृपा करें ।
3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन, सहारनपुर द्वारा निम्न प्रकार आख्या प्रेषित की गयी :-

1	पूला घास (छप्पर आदि बनाने में प्रयोग होता है)	$12.5 + 1 = 13.5\%$	अवर्गीकृत वस्तु है ।
2	गोरल घास (घोड़ों के लिए चारा)	करमुक्त	शिड्युल-1 के सीरियल नं0-4 पर जिसमें ग्रीन फोडर करमुक्त वस्तु है ।

सर्वश्री प्रभागीय वनाधिकारी / प्रा0 पत्र सं0-49 / 10 / धारा-59 / पृष्ठ-2

3	हड्डी, सींग, चमड़ा	करमुक्त 4%	शिड्युल-I के सीरियल नं0-31 पर शिड्युल-II पार्ट-ए के सीरियल नं0-40 पर
4	तेन्दू पाा (बीड़ी बनाने में प्रयोग होता है)	4%	शिड्युल-II पार्ट-ए के सीरियल नं0-17 पर
5	रोहणी कमेला (दवाई बनाने में प्रयोग होता है)	4 + 1 = 5%	शिड्युल-II पार्ट-ए के सीरियल नं0-57 पर
6	मालझन पाा (पाल बनायी जाती है)	12.5 + 1 = 13.5%	अवर्गीकृत वस्तु है।
7	शहद मोम	करमुक्त 4 + 1 = 5%	शिड्युल-I के सीरियल नं0-36 पर शिड्युल-II पार्ट-सी के सीरियल नं0- 03 पर
8	जड़ी-बूटी	4 + 1 = 5%	शिड्युल-II पार्ट-ए के सीरियल नं0-57 पर
9	गोला धातु (सेना की फायरिंग से बचे स्क्रैप (खोखे))	4 + 1 = 5%	शिड्युल-II पार्ट-ए के सीरियल नं0-80 पर

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उक्त आख्या उचित है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों तथा विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उक्त सन्दर्भ में उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनुसूची-I एवं II की निम्न प्रविष्टियाँ विचारणीय हैं :-

उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनुसूची-I के क्रमांक-4, 31 एवं 36 की प्रविष्टियाँ निम्न भौति हैं :-

क्रमांक-04

Aquatic feed; poultry feed including balanced poultry feed; cattle feed including balanced cattle feed; **and cattle fodder including green fodder**, chuni, bhusi, chhilka, choker, javi, gower, de-oiled rice polish, de-oiled rice bran, de-oiled rice husk, de-oiled paddy husk or outer covering of paddy ; aquatic, poultry and cattle feed supplement, concentrate and additives thereof ; wheat bran and deoiled cake but excluding oil cake; rice polish; rice bran and rice husk; Sanai and dhaincha

क्रमांक-31

Semen including frozen semen; **Bones, horns** and hooves

सर्वश्री प्रभागीय वनाधिकारी / प्रा० पत्र सं०-49 / 10 / धारा-59 / पृष्ठ-3

क्रमांक-36

Bun , rusk, bread excluding pizza bread; Atta, Maida, Suji, Besan; Gur, jaggery & edible variety of rab gur and Khandsari; Porridge; **Honey** and beehive ; Sugar as defined in section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.

उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-17, 40, 57, 80 एवं पार्ट-सी के क्रमांक-03 की प्रविष्टियाँ निम्न भाँति हैं :-

क्रमांक-17

Beedi leaves and Tendu leaves.

क्रमांक-40

Iron and steel, coal and coke in all its forms, crude oil, hide and skin (excluding animal hair), and jute as defined under section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.

क्रमांक-57

Herb, bark, dry plant, dry root, commonly known as jari booti and dry flower.

क्रमांक-80

Metal alloys, metal powders, metal pastes of all types & grades & **metal scrap** other than those falling under declared goods.

अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रमांक-03

Vegetable waxes (other than triglycerides), **beeswax, other insect waxes** and spermaceti, whether or not refined or coloured; degreas; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes; Slack wax and residue wax

उपरोक्तानुसार गोरल घास, हड्डी, सींग एवं शहद, उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टियों में करमुक्त हैं ।

चमड़ा, मोम, जड़ी-बूटी, तेन्दू पाा तथा मेटल स्क्रैप, उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II की उपरोक्त प्रविष्टियों में 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य हैं ।

शेष वस्तुएं-पूला घास एवं मालझन पाा, उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V की वस्तुएं होने के कारण, 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करयोग्य हैं ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई० टी० अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 22 अगस्त, 2013

ह० / 22.08.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उर प्रदेश, लखनऊ ।